न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–05, जयपुर महानगर द्वितीय

पीठासीन अधिकारी	**:**	**केदार नाथ, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
फौजदारी नियमित अपील संख्या	**:**	**87/2025**
सी.आई.एस. नम्बर	**:**	**1062/2025**

इरफान उर्फ पप्पू पुत्र अब्दुल अजीज निवासी 3353, गोविन्दराव जी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर, थाना नाहरगढ रोड, जयपुर, राजस्थान

–––अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

–––प्रत्यर्थी

दांडिक नियमित अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 05.12.2025 द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय अन्तर्गत दाण्डिक प्रकरण संख्या 153/2009, अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, उनवानी राजस्थान राज्य बनाम इरफान उर्फ पप्पू, पीठासीन अधिकारी अंजली जानू, आर.जे.एस.

––––

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्र कुमावत, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त
2. श्री कमल किशोर मीणा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य

: निर्णय : **दिनांक : 24.06.2026**

01– अपीलार्थी/अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू ने यह दाण्डिक नियमित अपील विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय के प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम इरफान उर्फ पप्पू, प्रकरण संख्या 153/2009 में पारित निर्णय/दण्डादेश दिनांक 05.12.2025 से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

02– अपील से संबंधित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि

दिनांक 06.02.2009 को परिवादी अमर सिंह, एस.आई. पुलिस थाना नाहरगढ रोड, जयपुर ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नाहरगढ रोड, जयपुर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 06.02.2009 को समय 7.00 पी.एम. पर परिवादी मय जाब्ता कांस्टेबल अशोक सिंह 1857, कांस्टेबल सहीराम 6987 के वास्ते गश्त व निगरानी बदमाशान इलाका थाना रवाना होकर गश्त करता हुआ यज्ञशाला की बावडी पर समय 10.10 पी.एम. पर पहुंचा तो जरिये मुखबिर खास परिवादी को सूचना मिली कि नीलगरों की मस्जिद के पास शराब के ठेके के सामने एक व्यक्ति उम्र करीब 25–26 वर्ष, शरीर से हष्टपुष्ट, लंबाई करीब 5 फिट 8 इंच के आसपास, जिसने नीले रंग की शर्ट व बैंगनी कलर की सफेद व लाल डिजाइनदार फुल आस्तीन की स्वेटर पहन रखी है जो एक कटार लिये हुए खड़ा है, जो अपराध करने की नियत से खड़ा है। इत्तला की तस्दीक हेतु स्वतंत्र गवहान के लिए दो राहगीरों को अपने पास बुलाकर इत्तला से अवगत करवाया जाकर पुलिस कार्यवाही में मदद करने की अनुमति चाही तो दोनों राहगीर यह कहते हुए चले गये कि वे पुलिस व कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ते। तत्पश्चात् हमराही मुलाजमानों को इत्तला से अवगत करवाकर साथ लेकर नीलगरों की मस्जिद के पहले शराब के ठेके के पास पहुंचा तो सामने रोड पर मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो अपनी तरफ बावर्दी पुलिस को आता देखकर जाने लगा, जिसको उसने मय हमराहियान जाप्ता की मदद से रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इरफान पुत्र अब्दुल अजीज, निवासी मकान नंबर 3353, गोविन्दरावजी का रास्ता, जयपुर बताया, जिसको चैक किया तो स्वेटर के नीचे पेंट की बैल्ट की आंट में एक लोहे की धारदार कटार मिली, जिसको नापा गया तो कटार की लंबाई 22 सेंटीमीटर तथा फल की लंबाई 14 सेंटीमीटर व हत्थे की लंबाई 8 सेंटीमीटर हुई। कटार का हत्था गोलनुमा बना हुआ, जिस पर उक्त शख्स को अपने पास कटार रखने के लिए लाईसेंन्स पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त शख्स का इस प्रकार बिना लाईसेन्स कटार रखना जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की नोइयत को पहुंचने पर उक्त शख्स के पास मिली कटार को मौके पर सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्का 'ए' लगाया गया तथा उक्त शख्स इरफान

को जुर्म से अवगत करवाकर हस्ब कायदा गिरफ्तार कर मय जप्तशुदा कटार के थाना आया, इत्यादि।

03— उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना नाहरगढ रोड, जयपुर में अभियोग संख्या 20 / 2009 अन्तर्गत धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। बाद अन्वेषण अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04— बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू को धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप को सुन व समझकर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05— अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू 1 छीतरमल, पी.डब्ल्यू 2 सहीराम, पी.डब्ल्यू 3 अशोक सिंह, पी.डब्ल्यू 4 मुश्ताक अहमद, पी.डब्ल्यू. 5 अमर सिंह, पी.डब्ल्यू. 6 मोहम्मद युसुफ, पी.डब्ल्यू. 7 मोहर सिंह को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—8 एवं आर्टिकल 1 व 2 को प्रदर्शित करवाया गया।

06— अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं झूठा फंसाने एवं स्वयं से कोई बरामदगी नहीं होने का कथन किया। अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

07— विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर दिनांक 05.12.2025 को निम्न निर्णय व दण्डादेश पारित किया :—

"परिणामतः इरफान उर्फ पप्पू पुत्र अब्दुल अजीज, उम्र 42 वर्ष, निवासी 3353, गोविन्दराव जी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर, थाना नाहरगढ रोड, जयपुर, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध किया जाकर दोषसिद्धि के फलस्वरूप 01 वर्ष के साधारण कारावास व 200 / — (अक्षरे दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड पर अभियुक्त 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में

बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। तद्नुसार दण्ड–अधिपत्र निर्गमित किया जावे। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील प्रकरण में जब्तशुदा अवैध हथियार कटार का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत अन्तर्गत धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत 6 माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर न्यायालय में तस्दीक करावे।"

08— उक्त निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से ही हस्तगत दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई है।

09— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान, प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में भी गम्भीर विरोधाभास है, जो आपस में किसी भी प्रकार से अभियोजन कहानी का समर्थन नही करते हैं। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मनमाने तरीके से विवेचन एवं विश्लेषण करके निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश परिवादी सहित महत्वपूर्ण साक्षीगण अपनी–अपनी साक्ष्य के दौरान विरोधाभासी कथन करते हैं तथा जिरह के दौरान खण्डित हो गए हैं। प्रकरण में सभी गवाहान पुलिसकर्मी है, जिनकी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने हेतु लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त को केवलमात्र संदेह के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा गया है। अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अनुसंधान अधिकारी का अनुसंधान अत्यन्त लचर प्रकृति का रहा है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कहानी दूषित हो जाती है। अभियोजन द्वारा मामला

सन्देह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

10— विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11— इस अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निणर्य एवं दण्डादेश दिनांक 05.12.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से इसमें हस्तक्षेप करने के आधार हैं तथा उक्त निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है ?"

12— इस प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार अभियोजन को यह प्रमाणित करना था कि दिनांक 06.02.2009 को समय 10.10 पी.एम. या उसके लगभग नीलगरों की मस्जिद, शराब के ठेके के पास अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू के कब्जे से स्टेटर के नीचे, पैन्ट बैल्ट की आंट में एक लोहे की धारदार कटार बरामद हुई, जिसे अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था।

13— विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये जिन साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है, उनमें **पी.डब्ल्यू. 5 अमर सिंह** प्रकरण का परिवादी है, जिसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 06.02.2009 को थाना नाहरगढ में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन सांयकालीन गश्त के लिये 7 पी.एम. पर कांस्टेबल अशोक सिंह व कांस्टेबल सहीराम के साथ निगरानी बदमाशान हेतु रवाना होकर, यज्ञशाला की बावडी पहुंचे, जहां पर जरिये मुखबिर खास उसे सूचना मिली कि नीलगरों की मस्जिद के पास शराब के ठेके के सामने एक व्यक्ति 25—26 वर्ष का, जिसने नीले रंग की शर्ट और बैंगनी रंग की सफेद डिजाईनर स्वेटर पहन रखा था। इत्तला की तस्दीक हेतु हमराह जाप्ते को सूचित कर रवाना होकर नीलगरों की मस्जिद के सामने पहुंचा, जहां मुखबिर की इत्तला के मुताबिक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस को देकखर जाने लगा, जिसको जाप्ता की मदद से पकड़कर

चैक किया तो स्वेटर के नीचे पेंट की आंट पर धारदार लोहे की कटार मिली, जिस बाबत लाईसेंस पूछने पर नहीं होना बताया तथा कटार को नापा तो फल की लंबाई 14 सेमी व हत्थे की लम्बाइ 8 सेमी कुल 22 सेमी थी। जिसका अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का होने से बतौर वजह सबूत एक सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्का 'ए' अंकित किया गया। अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार कर एफ.आई.आर. संख्या 20/2009 दर्ज की। जप्तशुदा कटार को जमा मालखाना कराया। फर्द जप्ती कटार प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ई से एफ उसके एवं जी से एच इरफान के हस्ताक्षर है तथा एक्स, वाई, जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर ई से एफ उसके व जी से एच इरफान के हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गजट नोटिफिकेशन प्रदर्श पी 6 है। उसने प्रदर्श पी 7 थाने पर रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जब्त शुदा माल पेश हुआ, एक सफेद कपड़े की थैली सील शुदा अवस्था में जिस पर एक सफेद कागज की चीट चस्पा है, जो प्रदर्श पी 07 है जिसे खोलने पर सफेद कपडे की थैली पर चिपकी हुई कान्उटर प्रति प्रर्दश पी 08 निकली व एक धारदार कटार निकली जिसको देखकर गवाह ने कहा कि यह वही धारदार कटार है जो उसने कार्यवाही के दौरान अभियुक्त इरफान से जब्त की थी।

14— प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना की सूचना दिनांक 06.02.2009 को उसे दौराने गस्त 10 बजे मुखबिर द्वारा मिली थी। वे तीन लोग थे। रिकवरी की लोकेशन नीलगरो की मस्जिद के पास थी। वे लोग करीब 10.10 बजे पहुंच गये थे। जब्ती उसके द्वारा की गई थी। वहां पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार एक व्यक्ति खडा मिला, जिसकी तरफ गया तो वह भागने लगा जिसको पकड़कर तलाशी ली गई तो एक कटार पैंट की आंट में मिली। उस दिन अभियुक्त ने नीली कलर की शर्ट तथा बैंगनी कलर की पेंट पहन रखी थी। उसकी हाइट 5.8 इंच थी। कटार की साइज 22 सेंटीमीटर थी। फल की लम्बाई 8 सेंटीमीटर थी। उसने अभियुक्त की तलाशी स्वयं ली थी।

अभियुक्त की तलाशी लेने से पहले उसने, उसकी तलाशी अभियुक्त से नहीं करवायी। घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं करवाये थे। जब्ती के बाद आइटम को सील उसने किया था, वह उसकी स्वयं की सील थी। सील का कलर पीला था। सामान को मालखाने जमा उसी दिन करवा दिया था, समय 11.25 बजे के बाद जमा करवा दिया था। मालखाना में रजिस्टर की एन्ट्री है। मालखाने में जमा कराने तक सीलशुदा पैकेट उसके पास ही था। सील टूटी हुई नहीं मिली। रवानगी रजिस्टर में उसके रवानगी की एन्ट्री है।

15— पी.डब्ल्यू. 2 सही राम व पी.डब्ल्यू. 3 अशोक सिंह परिवादी पी. डब्ल्यू. 5 अमर सिंह के साथ मौके पर जाने व मौके की कार्यवाही के गवाह है। पी.डब्ल्यू. 2 सही राम ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने अपने अधिकारी से यह नहीं पूछा कि प्रदर्श पी 4 व प्रदर्श पी 5 में उसके व अन्य पुलिस गवाह के अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं बनाया। जब्तशुदा कटार जैसी कटार बाजार में कई मिलती है। पी.डब्ल्यू. 3 अशोक सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना की सूचना उसे नहीं मिली, थानेदार अमर सिंह को मिली थी। अभियुक्त के हाथ में कटार नहीं थी, साईड में कमर में छिपा रखी थी। घटना स्थल पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

16— पी.डब्ल्यू. 1 छीतरमल प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा दिनांक 06.02.2009 को स्वयं को थाना नाहरगढ पर ए एस आई के पद पर कार्यरत होना बताते हुये मुकदमा नम्बर 20/2009 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अनुसंधान उसे सुपुर्द करने पर उसके द्वारा अमर सिंह, अशोक सिंह, सही राम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करने, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाने व मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी 2 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने व नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी 3 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करने का कथन किया गया है। इस गवाह की मृत्यु हो जाने से इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है।

17— पी.डब्ल्यू. 4 मुश्ताक अहमद ने दिनांक 06.02.2009 को स्वयं को पुलिस थाना नाहरगढ में हैड कांस्टेबल मालखाना के पद पर कार्यरत होना बताते हुये उस दिन एस आई अमर सिंह द्वारा प्रकरण संख्या 20/2009,

अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में माल वजह सबूत एक सीलशुदा माल का पैकेट जमा मालखाना करवाने हेतु दिया, जिसको उसने मद संख्या 16/2009 पर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रदशपी 2 के कॉलम 10 व 11 में कटार का वर्णन उसने फर्द के मुताबिक इन्द्राज किया। कटार कितने फलक का था, यह वह नहीं बता सकता, क्योंकि कटार सील्ड पैकेट था। सील माल उसके पास आया व फर्द के मुताबिक उसने इन्द्राज किया।

18— पी.डब्ल्यू. 6 मो0 युसुफ नक्शामौका प्रदर्श पी 1 का गवाह है, जिस पर ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करता है। यह गवाह यह भी कथन करता है कि उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। दौराने प्रतिपरीक्षा ए.पी.ओ. गवाह इस सुझाव से इंकार करता है कि वर्ष 2009 में पुलिस ने उसके सामने कटार जब्ती घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया हो। वह इरफान को नहीं जानता। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

19— पी.डब्ल्यू. 7 मोहर सिंह पूनिया ने दिनांक 06.02.2009 को स्वयं को थानाधिकारी, पुलिस थाना नाहरगढ में पदस्थापित होना बताते हुये कथन किया है कि उस रोज अमर सिंह, एस आई द्वारा लिखित तहरीरी रिपोर्ट लाकर थाने पर देने उसके द्वारा प्रकरण संख्या 20/2009 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का कायम कर अनुसंधान छीतरमल, ए एस आई के जिम्मे किया गया। दौराने तफ्तीश छीतर मल द्वारा गवाहान के बयान लेने, अभियुक्त की गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी 4 बनाने, फर्द बरामदगी फर्द जब्ती एक धारदाद कटार प्रदर्श पी 5, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 मुर्तिब करने का कथन किया गया है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 2, नकल रपट रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 3, अधिसूचना प्रदर्श पी 6 होने का कथन किया गया है। प्रकरण में छीतरमल द्वारा अनुसंधान कर अभियुक्त इरफान के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एकट का प्रमाणित मानकर

पत्रावली उसके समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर उसके द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया है।

20— प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि प्रकरण में अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया है। नक्शा मौका घटना स्थल उसके द्वारा व उसके सामने नहीं बनाया गया है। अमर सिंह एस आई द्वारा दी गई फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी व लिखित रिपोर्ट उसके द्वारा पढकर कार्यवाही पुलिस पर हस्ताक्षर किये गये थे।

21— इस प्रकार विचारण न्यायालय की पत्रावली में अभियोजन की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित हुये हैं, उनमें स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू. 5 अमर सिंह महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसके द्वारा मुखबिर की इत्तला के आधार पर अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू से कटार जब्त करने का कथन किया है एवं उसके द्वारा मौके की कार्यवाही करना बताया गया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे यह जाहिर होता है कि इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से कटार बरामद न की हो। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान पी.डब्ल्यू. 2 सहीराम व पी.डब्ल्यू. 3 अशोक सिंह ने अपने बयानों में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के कथनों की पूर्ण रूप से ताईद की है तथा इन गवाहान की प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई कथन नहीं आया है जो इनकी मुख्य परीक्षा को खंडित करता हो। पी.डब्ल्यू. 1 छीतर मल, जिसकी दौराने साक्ष्य मृत्यु हो गई है, ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से समस्त फर्दों को अपनी साक्ष्य से साबित कराया है। परिवादी पी.डब्ल्यू. 5 अमर सिंह द्वारा मौके पर की गई समस्त कार्यवाहियों का कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। यद्यपि प्रकरण के अधिकतर गवाह पुलिसकर्मी है, परन्तु मात्र पुलिसकर्मी गवाह होने के आधार पर इनकी साक्ष्य नजरअन्दाज नहीं की जा सकती है। उक्त समस्त कार्यवाही पुलिस द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में की गई है, जिसे अविश्वसनीय माने जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अभियोजन कहानी का खण्डन होता हो।

22— उपरोक्त विवेचनानुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह साबित कराने में पूर्ण रूप से सफल हुआ है कि दिनांक 06.02.2009 को समय 10.10 पी.एम. या उसके लगभग नीलगरों की मस्जिद, शराब के ठेके के पास अपीलार्थी/अभियुक्त के कब्जे से स्वेटर के नीचे, पैंट बैल्ट की आंट में एक लोहे की धारदाद कटार बरामद हुई, जिसको अपने पास रखने का अपीलार्थी/अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित माना है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है तथा उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में दोषसिद्धि की हद तक उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता दर्शित नहीं होती है।

23— दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। बहस के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त का निवेदन है कि उसके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये उसे भुगती सजा पर छोडा जावे।

24— अपीलार्थी/अभियुक्त के निवेदन के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश में परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत है।

: आदेश :

25— अतः अपीलार्थी/अभियुक्त इरफान उर्फ पप्पू पुत्र अब्दुल अजीज निवासी 3353, गोविन्दराव जी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर, थाना नाहरगढ रोड, जयपुर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत अपील दण्डादेश की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दण्डादेश में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 10 माह का साधारण कारावास व 200 रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 04 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक

अभिरक्षा/इस निर्णय की दिनांक तक भुगती हुई सजा को परिवर्तित मूल सजा में समायोजित किया जावे। उक्तानुसार संशोधित सजा वारन्ट बनाया जावे। इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सी.आई.एस. पर अपलोड किया जावे।

(केदार नाथ)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–5,
जयपुर महानगर द्वितीय

25– निर्णय आज दिनांक 24.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(केदार नाथ)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–5,
जयपुर महानगर द्वितीय